

कार्यालय आयुक्त, पटना प्रमण्डल—सह—निर्वाचक निबंधन
पदाधिकारी, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

अनुलग्नक—क—I

भारत निर्वाचन आयोग

बिहार विधान परिषद के ०१—पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६० के नियम ३१(४) के अन्तर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६० के नियम ३१(४) के अनुसरण में (१) पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक—०१.१०.२०१९ के अपने नोटिस के द्वारा ऊपर उल्लिखित सम्बंधित स्नातक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६० के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित और (१) हिन्दुस्तान एवं (२) दैनिक भास्कर समाचार पत्रों के दिनांक के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनः प्रकाशित फार्म १८ में अपना आवेदन ०६.११.२०१९ तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म १८ में अपने आवेदन ०६.११.२०१९ तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, पटना की शासकीय वेबसाइट wwwceobihar.nic.in पर भी उपलब्ध है।

Liaqat
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।